वत्रयांतय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व



तहसीत - राजगढ जिला - राजगढ, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछडे वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 3553/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/442/0106/16621/2017

दिनांक: 09/07/2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामगोपात पुत्र श्री राधेश्याम (पिता) एवं श्रीमती सीला बाई (माता) ग्राम कराडिया, तहसील राजगढ, जिला राजगढ मध्यप्रदेश कुम्हार(प्रजापति) जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछडा वर्ग श्री जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 38 निम्नतिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है।-

- मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एक 8-5-पध्यीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
- 2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
- 3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिस्चनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।
- 2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भी रामगोपाल क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) त्यक्तियों वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उत्तरेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एक 1-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संसरन चीरिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया हैं।
- उ. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक रामगोपाल के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रूपये 45000.00 हैं ।
- 4. श्री रामगोपाल पुत्र श्री राघेश्याम सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम कराडिया, तहसील राजगढ, जिला राजगढ (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : राजगढ दिनांक : 09/01/2011 आधार नंबर :

ਰਸਵ ਜੇ :

तहसीत - राजगढ

-

श्रीमति ममता खेडे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

- । प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पर म प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पर पर तकाम अधिकारी के डिजिटल हस्लाक्तर है।
- 2. यह प्रमाग पर, मुचना प्रीट्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
- 3. दमान पर का सत्यापम पंजीयम के RS-442/8106/16621/2017 के द्वारा बेबलाईट http://mpediatrict.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।